सन २०२४-२५ करिता लेखाशिर्ष क्र.३०५१ १८९१ जेड्डीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य (सागरमाला) (राज्य हिस्सा ५० टक्के) या योजनेकरिता अर्थसंकल्पीत निधी वितरीत करणेबाबत.

## महाराष्ट्र शासन गृह विभाग

शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी ११२४/प्र.क्र.८१/बंदरे-२

गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ दिनांक :- २४ जानेवारी २०२५

संदर्भ:-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३ दि. २५.०७.२०२४ २.महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.मसामं/मुकाअ/अभि/निधी वितरण प्रस्ताव/३०५१ १८९१/२०२४-२५/३७६, दि.२२.०१.२०२५

## शासन ज्ञापन :-

महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य (सागरमाला) (राज्य हिस्सा ५० टक्के) या योजनेकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.१००.०० कोटी निधीपैकी रु.१००.०० कोटी (अक्षरी रु. शंभर कोटी फक्त) एवढा निधी, या शासन ज्ञापनाच्दारे खालील कामांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

## (रुपये कोटीमध्ये)

| अ.क्र | कामाचे नाव         | प्रशासकीय | केंद्रशासन   | अपेक्षित | राज्य शासन   | सन २०२४-२५   |
|-------|--------------------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|
|       |                    | मान्यता   | कडून         | राज्य    | कडून प्राप्त | करीता आवश्यक |
|       |                    | रक्कम     | प्राप्त निधी | शासन     | निधी         | निधी         |
|       |                    |           |              | हिस्सा   |              |              |
| ٩.    | खारवाडेश्री        | २३.००     | 0.00         | 99.40    | ५.७६         | 8.38         |
|       | पालघर येथे रो-     |           |              |          |              |              |
|       | रो जेट्टी बांधणे   |           |              |          |              |              |
| ٦.    | कोलशेत             | ९९.६८     | 0.00         | ४९.८४    | २०.७८        | २९.०६        |
|       | जि.ठाणे येथे       |           |              |          |              |              |
|       | जेट्टीचे बांधकाम   |           |              |          |              |              |
|       | करणे (NW५३)        |           |              |          |              |              |
|       | (टप्पा-१)          |           |              |          |              |              |
| 3.    | मिरा भाईंदर जि.    |           |              |          |              |              |
|       | ठाणे येथे जेट्टीचे |           |              |          |              |              |
|       | बांधकाम करणे       |           |              |          |              |              |
|       | (NW५३)(टप्पा-१)    |           |              |          |              |              |

| 8          | काल्हेर, जि.        |           |      |         |       |        |
|------------|---------------------|-----------|------|---------|-------|--------|
| 8          | ठाणे येथे जेट्टीचे  |           |      |         |       |        |
|            | बांधकाम करणे        |           |      |         |       |        |
|            | (NW५३)(टप्पा-9)     |           |      |         |       |        |
| <b>y</b> . | डोंबिवली            |           |      |         |       |        |
| ٦٠         | जि.डाणे येथे        |           |      |         |       |        |
|            | जेट्टीचे बांधकाम    |           |      |         |       |        |
|            | करणे (NW५३)         |           |      |         |       |        |
|            | (टप्पा-१)           |           |      |         |       |        |
| ξ.         | वेंगुर्ला ता.       | 83.99     | 0.00 | २९.५५   | 0.00  | २१.५०  |
|            | वेंगुर्ला,          | ,         |      |         |       | ,      |
|            | जि.सिंधुदुर्ग येथे  |           |      |         |       |        |
|            | जेट्टी व तत्सम      |           |      |         |       |        |
|            | सुविधा निर्माण      |           |      |         |       |        |
|            | करणे                |           |      |         |       |        |
| 9.         | उतन, जि. टाणे       | ३०.८९     | 0.00 | 94.84   | 0.00  | 90.00  |
|            | येथे रो-रो जेड्डीचे |           |      |         |       |        |
|            | बांधकाम करणे        |           |      |         |       |        |
| ۷.         | बोरीवली, मुंबई      | 89.98     | 3.98 | २४.८७   | 80.0  | 90.00  |
|            | उपनगर येथे रो-      |           |      |         |       |        |
|            | रो जेट्टीचे         |           |      |         |       |        |
|            | बांधकाम करणे        |           |      |         |       |        |
| ۶.         | घारापुरी येथील      | 85.05     | 0.00 | 83.92   | 0.00  | 90.00  |
|            | अस्तित्वातील        |           |      |         |       |        |
|            | जेट्टीची लांबी व    |           |      |         |       |        |
|            | रुंदी वाढवणे        |           |      |         |       |        |
| 90         | एकदरा ता. मुरुड     | ९२.२७     | 0.00 | ४६.१३   | 0.00  | 90.00  |
|            | जि.रायगड येथे       |           |      |         |       |        |
|            | ग्रोयन्स बंधारा     |           |      |         |       |        |
|            | बांधणे व गाळ        |           |      |         |       |        |
|            | काढणे               | 2 2 4 2   |      | 04.0.00 |       |        |
| 99.        | भगवती बंदर येथे     | । ३०२.४२  | 0.00 | 949.29  | 0.00  | ५.१०   |
|            | क्रुझ टर्मिनल       |           |      |         |       |        |
|            | विकसीत करणे         | 102 / 0/- | 2.00 | 20000   | 20.27 | 00000  |
|            |                     | ७२८.९५    | 3.99 | 388.80  | 38.2८ | 900.00 |

- २. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय मान्यता /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची पडेल, याबाबत आवश्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची राहील.
- 3. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २५.०७.२०२४ शासन परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही.
- ४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२५ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करण्यात यावीत.
- ५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई हे राहतील.
- ६. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, (००)(०३), जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य (सागरमाला) (कार्यक्रम) (३०५१ १८९१), ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीसाठी अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
- ७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०१२४१६२०४४६९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

( भरत लांघी ) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

## प्रत,

- 9) मा. मंत्री, बंदरे विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ यांचे खाजगी सचिव.
- २) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई.
- ४) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ५) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ६) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई

- ८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- ९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
- 90) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-9, गृह विभाग.
- ११) निवडनस्ती (बंदरे-२).